फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर

रामदयाल वगै0 बनाम अगिलाषा वगै0

मुकदमा संख्या : 89/2024

क्रम सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	11.11.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 सीपीसी पेश नही कर दस्तावेज सूची पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। अतः जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 सीपीसी बन्द किया जाता है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पूर्व में स्थगन प्रार्थना पत्र की बहस में विचाराधीन है। वकील उभय पक्षों की बहस स्थगन प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 सीपीसी पर सुनी गई तथा अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 18.11.2025 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर	
	18.11.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रकरण मे वकील अप्रार्थी सं0 4, 10 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 सीपीसी पेश किया है जो खारिज योग्य है। क्योकि मूल स्थगन प्रार्थना पत्र ही अन्तिम बहस में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में मूल प्रार्थना पत्र की बहस पर सुनवाई कर उचित निर्णय करना आवश्यक है तथा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 सीपीसी ऐसी स्थिति में मेन्टेबल नही है तथा सिविल प्रकिया संहिता 1908 में आदेश 39 नियम 4 में स्पष्ट है कि व्यादेश के आदेश को प्रभावोन्मुक्त, उनमें फेरफार या उसे अपास्त किया जा सकेगा। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 सीपीसी खारिज किया जावें और प्रकरण में जारी स्थगन आदेश दिनांक 31.07.2024 को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक कन्फर्म किया जावें। क्योकि वादांकित आराजियात सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 की धारा 67, 67(क), 68 से प्रभावित है और मूल के अन्तिम निस्तारण तक वादांकित भूमि किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द नही हो सके। वकील अप्रार्थी सं0 4, 10 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादांकित भूमि के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 31.07.2024 को प्रार्थी की एक तरफा सुनवाई कर जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगणों को मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया हुआ है। उक्त प्रकरण मे वादांकित भूमि अप्रार्थीगण की स्वयं की निजी खातेदारी भूमि है जिसका नामा0 हाल ही में दिनांक 15.04.2024 को अप्रार्थीगणों के नाम खोला जाकर राजस्व रिकार्ड में अलम दरामद हुआ है। जिससे प्रार्थीगण का कोई लेना देना नही है। प्रार्थीगण ने दिनांक 23.07.1954 के तथाकथित गिरवी इकरारनामा के आधार पर दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। कानूनी कोई भी प्राईवेट रहच पांच वर्ष की समयावधि पश्चात स्वतः ही उन्मोचित (समाप्त) मानी जाती है। ऐसी स्थिति में भी प्रार्थीगण का वाद कतई चलने योग्य नही है। अप्रार्थीगण ने वाद पत्र में जवाब पेश कर दिया है तथा कानूनन वाद की प्रकृति को देखते हुए भी अप्रार्थीगण के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। इसलिए उक्त एक तरफा अन्तरित आदेश का अपास्त किया जाना कानूनन न्याय सम्मत है। उक्त स्टे आदेश को लिये लगभग 1 वर्ष से अधिक समय हो चुके है। जबकि एक तरफा दिये गये स्टे को 30 दिवस से ज्यादा आगे नही बढाया जा सकता है। प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में तथ्य छिपाकर, छल व कपट पूर्वक पेश कर एक तरफा स्टे आदेश प्राप्त किया है। किसी भी इकरारनामा या संविदा लिखता गिरवी नामा यदि कोई वैद्य है तो उसकी विशिष्ट अनुपालना के लिए सक्षम न्यायालय मे ही वाद पेश किया जा सकता है।	

माननीय न्यायालय में प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही होने से भी उक्त एक तरफा अन्तरिम आदेश को अपास्त किया जाना कानूनन न्याय संम्मत है। अतः प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय को गुमराह कर एक तरफा स्टे आदेश लिया है। जिससे अप्रार्थीगण के संवैधानिक व मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिए अन्तरित आदेश को खारिज किया जावें।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने व वकील उभय पक्षों की बहस का मनन करने पर वादांकित भूमि अप्रार्थीगणों के खातेदारी भूमि है। जो विरासती भूमि है और मूल खातेदारों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर उनको उनके हकअधिकारों से वंचित नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज करना उचित समझते है। अतः पत्रावली में अप्रार्थी सं0 4, 10 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफतर हों।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर